**उत्तर प्रदेश शासन**
**महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1**
**संख्या-14/2015/660/60-1-15-1/16(120)/97**
**लखनऊ : दिनांक: 20 मई, 2015**

**कार्यालय-ज्ञाप**

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2994/ 60-1-98-1/16(120)/97, दिनांक 25.09.1998 के द्वारा उ0प्र0 महिला कल्याण निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय गृहों, उत्तर रक्षा गृहों महिला आश्रमों में निवासरत संवासिनियों को विवाह के माध्यम से पुर्नवासित करने हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

2- उपरोक्त आदेश दिनांक 25.09.1998 के क्रम में इसी प्रकार उ0प्र0 महिला कल्याण निदेशालय के अधीन किशोर न्याय (बालको की देख रेख एंव संरक्षण) अधिनियम-2000 यथा संशोधित अधिनियम-2006 तथा नियमावली-2007 की धारा-44 के अन्तर्गत राजकीय पश्चातवर्ती देख रेख संगठन (महिला), वाराणसी, सहारनपुर, रायबरेली एंव मेरठ में संचालित आवासीय गृहों में निवासरत संवासिनियों को विवाह के माध्यम से पुर्नवासन की दिशा में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नवत समिति गठित की जाती है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. जिलाधिकारी/ प्रतिनिधि (जो अपर जिलाधिकारी स्तर का हो) | - | अध्यक्ष |
| 2. संस्था के चिकित्सा अधिकारी | - | सदस्य |
| 3. जिला प्रोबेशन अधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| 4. सम्बन्धित गृह की अधीक्षिका (राजकीय पाश्चातवर्ती देख रेख संगठन) | - | सदस्य |
| 5. अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति | - | सदस्य |

2- विवाह के माध्यम से पुर्नवासन हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य अनुदान नगर अथवा वांछित सामग्री के रूप में दिये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया जायेगा ।

3- उपरोक्त गृह की अधीक्षिका 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाली विवाह की इच्छुक संवासिनियों की सूची तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। तदोपरान्त समिति समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी संवासिनियों के उपलब्ध बायोडाटा प्रकाशित करायेगीं। विवाह हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी समिति द्वारा की जायेगी एंव जनपद के पुलिस अधीक्षक ऐसे अभ्यर्थियों के चरित्र एंव पूर्ववृत्त का सत्यापन किया जायेगा, जिसकी रिपोर्ट अधीक्षिका समिति को प्रस्तुत करेंगी ।

4- समिति द्वारा समुचित अभ्यर्थियों की सूची के अनुमोदन के उपरान्त उध्यक्ष की पूर्व अनुमति से अधीक्षिका द्वारा संवासिनियों के विवाह का आयोजन किया जायेगा ।

5- सम्बन्धित गृह की अधीक्षिका का यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक संवासी के विवाह के

....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपरान्त 05 वर्ष की अवधि तक सम्बन्धित संवासिनी के संतोषजनक पुनर्वासन की समीक्षा करती रहेंगी और कोई अप्रिय स्थिति की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी को दी जायेगी, जो यथा अपेक्षित अनुगामी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें ।

(रेणुका कुमार),
प्रमुख सचिव

संख्या-14/2015/660(1)/60-1-15, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ
2- सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
3- सम्बन्धित उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/ परिवीक्षा अधिकारी।
4- सम्बन्धित बाल कल्याण समिति ।
5- सम्ब्न्धित संस्था चिकित्सा अधिकारी ।
6- सम्बन्धित अधीक्षिका, राजकीय पाश्चातवर्ती देख रेख संगठन, उ0प्र0 ।
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।